

मान्यता कोड : RJUDP28216

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)UDAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: 2659

दिनांक 4/7/2019

सचिव

प्रबंध समिति

The Vision Academy Secondary School-A Unit Of RMV, Udaipur

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 30042 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, The Vision Academy Secondary School-A Unit Of RMV, Udaipur पता Near Gulab Bagh, Udaipur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN_UDAIPUR ब्लॉक GIRWA को शैक्षणिक सत्र 2019-20 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathematics (Commerce Stream), Computer Science
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History, English Literature, Hindi Literature
कृषि संकाय	

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर



प्रमुख अधिकारी
राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान, बीकानेर (राज.)
पु.स. नि.का. उदयपुर
CODE-33199

मान्यता कोड : RJUDP28216

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर



मान्यता कोड : RJUDP21645

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)UDAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: - जिजिड/साप्र/उदम/लेखा-2/क्रमोन्नति/2017/893

दिनांक 04/09/2017

सचिव

प्रबंध समिति

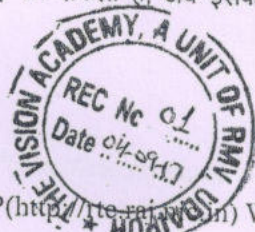
The Vision Academy School-A Unit Of RMV Udaipur

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 16748 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, The Vision Academy School-A Unit Of RMV Udaipur पता Near Gulab Bagh, Udaipur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN_UDAIPUR ब्लॉक GIRWA को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

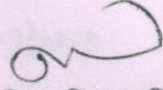
- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।



[Signature]
24/9/17

[Signature]
जिला शिक्षा अधिकारी
बीकानेर (प्रथम) खयपुर (राज.)

मान्यता कोड : RJUDP21645


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (पुरुष) विभाग,
राजस्थान (पुरुष) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,..... संभाग.....।
- 5 पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (पुरुष) विभाग,
राजस्थान (पुरुष) विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर, राजस्थान
क्रमांक : जिशिअ/प्रार/उदय/सामा-1/मान्यता/10-11/39 दिनांक: 3.7.2010

- कार्यालय आदेश -

कोड नं. 741

द. बी. जे. एकेडमी, उदयपुर
द. बी. जे. एकेडमी उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदयपुर को गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 के परिशिष्ट 2 परचात किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निविष्ट निबन्धनों तथा शर्तों की पूर्ति करते हुए दिये गये शपथ पत्र के आधार पर एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2010-2011 से निरीक्षणकर्ता की अभिसंधा के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।

मान्यता नियमों की पालना नहीं करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरित स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकेगी। सत्र 2010-2011 में कक्षा 6 प्रारंभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परिशिष्ट-2 एवं संपन्न विधान की प्रतियां जापेक्ष जारी दिनांक से एक माह में प्रस्तुत नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्रार/उदय/सामा-1/मान्यता/10-11/
प्रतिलिपि

- 1 श्रीमान आयुक्त महोदय, प्रा0शि0 राज0, बीकानेर
- 2 उपनिदेशक प्रा0शि0 उदयपुर
- 3 संस्थापक/अध्यक्ष
- 4 कार्यालय प्रति

दिनांक:

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

प्रतिलिपि

अंग्रेजी

राजस्थान महिला विद्यालय
उदयपुर (राज.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर (राज0)

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जिशिअ/प्राशि/उदय/सामान्य-1/मान्यता/2010/39

दिनांक 03.07.10 को संस्था राजस्थान महिला विद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित द. बी. जे. एकेडमी उच्च प्राथमिक विद्यालय की कमियों की पूर्ति किये जाने से मूल आदेश में कमियों को विलोपित किया जाता है। आदेश में मूल शर्तें यथावत रहेंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

दिनांक: 3/8/10

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/उदय/सामान्य-1/मान्यता/10/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1 संस्थापक/सचिव
- 2 कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

Principal
The Vision Academy School
(A Unit of RMV)
Udaipur (Raj.) 313001

Manager
The Vision Academy School,
A Unit of RMV, Udaipur